RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 | वर्ष 06 | अंक 241 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
®
खबरें बे-रोकटोक

दस दिन में प्रदूषण नियंत्रण करने का निर्देश

Page - 3

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महायुति के कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला तय !

MVA को 'ऑपरेशन लोटस' का डर...

14 दिसंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार...

मुंबई: एक बड़ी खबर के अनुसार महाराष्ट्र में कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस बाबत सूत्रों की मानें तो इखढ को 20, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 और अजित पवार की ठउढ को 10 मंत्रीपद दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि, बीते मंगलवार को उट देवेंद्र फडणवीस की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में ये फॉमूर्ला तय हुआ है। जानकारी दें कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी थी।

इस बाबत कहा जा रहा है कि, शिवसेना को इस बार गृह विभाग नहीं मिलेगा और राजस्व विभाग भी उसे दिये जाने की संभावना नहीं है। बातचीत में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि तीन पार्टियां (महायुति के सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी) इसमें शामिल हैं। वहीं इखढ के मुख्मयंत्री समेत 21 -22 मंत्री पद रखने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चार-पांच मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं।

शिंदे के विश्वासपात्र की छुट्टी

यह भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस बार रामेश्वर नाइक को मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रमुख नियुक्त किया है। नाइक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले मंगेश चिवटे की जगह ली है। जून 2022 में शिंदे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद चिवटे को इस पद पर नियुक्त किया गया था। नाइक इससे पहले पूर्ववर्ती राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री के चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के प्रमुख थे। उस समय फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री राहत कोष प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पात्र परिवारों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है।

इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उनके सहयोगी प्रवीण दारेकर ने दावा किया कि महा विकास आघाड़ी **(MVA)** के कई सांसदों और विधायकों ने उनसे संपर्क कर अपनी-अपनी पार्टियों से नाराजगी जताई है। हालेंकि कांग्रेस ने भाजपा नेताओ के इन दावों को खारिज कर दिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इन्हें 'बेतुका' करार दिया। दरअसल हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (एसपी) की एमवीए ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और 288 सीटों में से केवल 46 सीटें ही जीत पाई।

'ऑपरेशन लोटस' की बही हवा

इस पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि, अगर भगवा पार्टी टश्अ विधायकों को लुभाने के लिए पैसे और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके 'ऑपरेशन लोटस' शुरू करने की योजना बना रही है, तो लोग उन्हें उचित समय पर करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा, ''यह अब कोई रहस्य नहीं है कि देश में तानाशाही ने अपने पैर जमा लिए हैं।'' यह भी बता दें कि, महायुति गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट जीतने के बाद पांच दिसंबर को फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में तथा शिंदे एवं राकांपा नेता नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं।

पूजा स्थल अधिनियमः मंदिर-मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से जुड़ी किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दायर करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि निचली अदालत कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश नहीं दें। सर्वे का भी आदेश न दें। केंद्र 4 सप्ताह में एक्ट पर रउ में जवाब दाखिल करे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि अलग-अलग अदालतों में 10 सूट दाखिल हुए हैं और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया। सुप्रीम ने मथुरा का मामला जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला और दो अन्य सूट पहले से ही कोर्ट के सामने लंबित है।

पोर्ट का व्यवस्था बनाया जाए: जस्टिस के वी विश्वनाथन सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने विभिन्न अदालतों के सर्वे के आदेशओं पर एतराज जताया। हालांकि, इन एतराज पर कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की। जस्टिस के वी विश्वनाथन ने कहा, ''अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई लंबित है, तो सिविल कोर्ट उसके साथ रेस में नहीं है। सीजेआई ने कहा कि चार सप्ताह में केंद्र जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक पोर्टल या कोई व्यवस्था बनाई जाए, जहां सभी जवाब देखे जा सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गूगल ड्राइव लिंक बनाया जा सकता है।

सीवरेज संचालन विभाग के खोदे गए गड्ढे में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत

मुंबई: नेरुल निवासी 40 वर्षीय राजू तुलसीदास गावंडे की बुधवार को चेंबूर के पास तिलक नगर में बीएमसी के सीवरेज संचालन विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। तिलक नगर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही के लिए एफआईआर दर्ज की है। तिलक नगर पुलिस के कार्यवाहक वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप माने ने कहा कि गावंडे पहले पी एल लोखंडे मार्ग पर रहते थे और चेंबूर में उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा, ''वह तिलक नगर में बिल्डिंग नंबर 43 के पास सड़क पर चल रहा था, तभी वह पानी के गड्ढे में गिर गया।'' ''बीएमसी द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती थी। गवांडे शायद सुबह करीब 2.30 बजे गिरे और शव बुधवार सुबह 10 बजे देखा गया। गड्ढा करीब 30 फीट गहरा है और हमें गवांडे को निकालने और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा।'' स्थानीय वार्ड कार्यालय, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और यहां तक कि बीएमसी

के आपदा प्रबंधन विभाग को बुधवार रात 10 बजे तक दुर्घटना के बारे में पता नहीं था। बीएमसी के सहायक आयुक्त विश्वास मोटे ने इस संवाददाता के कॉल का जवाब नहीं दिया। न ही सीवरेज संचालन विभाग के मुख्य अभियंता पी एस गवली ने।

कुछ बीएमसी अधिकारियों ने दावा किया कि गवांडे नशे में थे और इसलिए गड्ढे में गिर गए। हालांकि, माने ने कहा कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा, ''हमने गवांडे को गड्ढे से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।'' ''हमें नहीं पता कि वह नशे में था या नहीं। पोस्टमार्टम गुरुवार को किया जाएगा।''

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना

माहौल में मुफ्त की वर्जनाएं खामोश रहीं, क्योंकि सामने गारंटियों और वादों की इबारत में सरकार के दो साल का सफर था। सफर आगे बढ़ा तो मंच से कदमताल करती योजनाएं प्रफुल्लित-प्रोत्साहित होकर निकलीं और सज धज के समारोह के पंडाल ने हर संभव लुभाने का प्रयास किया। राजीव गांधी स्टार्ट अप की गाड़ी पर सवार रोजगार दिखाई दिया, तो किसान के खेत से मक्की का आटा निकल कर हिमाचल की प्राकृतिक खेती का शृंगार कर गया। किसान के घर का दूध अपनी कीमत के नए सफर पर निकला, तो गोबर से बनी खाद को आत्मनिर्भरता के तराजू में तौला गया। सुक्खू सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में सुर्खियां बटोरी हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन की लौ जला कर आत्मनिर्भरता के रास्तों पर मुस्तैद हुई, लेकिन सियासत के खंभों पर पक्ष और विपक्ष के बीच हिमाचल की अपनी व्यथा का हाल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सुना गए। वहां नेता प्रतिपक्ष जयराम के नेतृत्व में विपक्ष ने बिलासपुर के सुखद एहसास का राजभवन पहुंच कर अट्टहास किया। आरोपों के छिलकों पर गिरता माहौल हिमाचल के छलनी कंधों को देख रहा है। ये कंधे घायल हैं, क्योंकि उधार की ठोकरें, केंद्र सरकार की उदासीनता और गारंटियों में वित्तीय व्यवस्था के समझौते कहीं तो दामन में चोट खाए ढोंग कर रहे हैं। कुछ पीड़ाजनक-कुछ लज्जाजनक अध्याय हिमाचल की राजनीति से चस्पां हैं। अतीत की मंशा में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों से भाजपा बच नहीं सकती, क्योंकि कई घड़े फूटे हैं तेरे आंगन में, तब कहीं जाकर यह घास नम हुई। जाहिर है इस साल के जश्न की मुलाकात में सरकार का सशक्त चेहरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साहस और उनके एहसास की छाती बुलंद कर रहा है।

वह सरकार के निर्णायक पथ पर अपने संबल से योजनाएं लिख रहे हैं और यहां उनके विजन की पेशकश में हिमाचल के भविष्य का मसौदा बन रहा है। योजनाएं किसान के घर से उसके चूल्हे तक, बेरोजगारी से स्वरोजगार के चूल्हे तक, अनाथ बच्चों के पालन पोषण और निराश्रित महिलाओं के स्वाभिमान तक आश्वासन से परिपूर्ण हैं। सरकार ने बड़ी शिद्दत से अपने दो सालों के सफर को पेश किया है, लेकिन अब गोबर सने हाथों से शिमला की फाइलों से फिजूलखर्ची हटानी होगी। प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति से 2032 तक आत्मनिर्भरता के डग भरने का संकल्प नए निवेश, विनिवेश, प्रशासनिक-आर्थिक सुधारों के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक समर्थन से ही पूरा होगा।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 8657861004
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

भिवंडी शहर में एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप !

मुस्तकीम खान

भिवंडी: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भिवंडी में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है एनआईए की एक टीम ने भिवंडी निजामपुर पुलिस स्टेशन की मदद से आज सुबह भिवंडी तालुका के खोनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में छापा मारकर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है. एनआईए टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक का नाम कामरान अंसारी है.

बता दें कि कुछ महीने पहले ही भिवंडी तालुका के पडघा-बोरीवली गांव से 'आईएसआईएस' आतंकवादी संगठन के 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनआईए की टीम ने गुरुवार सुबह-सुबह भिवंडी तालुका के निजामपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खोनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक कमरे में अचानक छापा मारा था. जांच में पता चला है कि इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया कामरान कई दिनों से इस कमरे में रह रहा था. इस बीच, एनआईए की टीम ने भी आज ही सुबह अमरावती में भी छापा मारकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. इस बीच 28 जून 2023 को एनआईए की टीम द्वारा दर्ज आईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में पांच स्थानों पर संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई. उस समय भी एनआईए की टीमों ने आरोपियों के घरों की तलाशी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आईएसआईएस से संबंधित कई दस्तावेज जैसी कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी. कहा गया कि जब्त सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चला है कि आरोपी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ सक्रिय संबंध रखते थे तथा आतंकवादी संगठन के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे थे. पिछले साल, राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल तीन पीएफआई पदाधिकारियों को भिवंडी शहर से गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा पिछले दो सालों में मुंब्रा इलाके से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया.वहीं 2014 में कल्याण के चार युवकों को आईएसआईएस में भर्ती किया गया था. अतः भिवंडी तालुका के खोनी गांव से एक बार फिर यह देखने को मिला है कि ठाणे जिले में अभी भी कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हैं. इसी क्रम में एनआईए की टीम अमरावती में एक युवक से पाकिस्तान से कथित संबंधों के सिलसिले में पूछताछ कर रही है. एनआईए टीम अमरावती पहुंची. बताया जाता है कि एनआईए की टीम ने पाकिस्तान से जुड़े देशभर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 25 लोगों को हिरासत में लिया है।

अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

ठाणे : भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के अवैध इमारतों के संरक्षण का पुराना और बदनाम इतिहास एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से शहर में अवैध निमार्णों का सिलसिला जारी है, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं। लेकिन, मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होते ही प्रशासन हरकत में आया और चौथा निजामपुर इलाके में स्थित एक चार मंजिला अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। चौथा निजामपुर स्थित म्हाडा कॉलोनी के सर्वे नंबर 123, सीटी सर्वे नंबर 3979 पर जमीन मालिक मों।

फारूक अंसारी जावेद अंसारी और नसीम अंसारी ने बिल्डर अबरार अहमद अंसारी और सईद एकलाख शेख को अवैध इमारत बनाने का ठेका दिया था। इन बिल्डरों ने वर्ष 2022 में इस जमीन पर निर्माण शुरू किया और 2023 में तल अधिक चार मंजिला इमारत तैयार कर दी। सूत्रों के अनुसार, पालिका के कई अधिकारियों ने इस अवैध इमारत के निर्माण में भागीदारी निभाई और बिल्डरों से मोटी रकम वसूलकर इमारत को संरक्षण दिया।

भिवंडी शहर का शातिर अपराधी रायगढ़ जिले से गिरफ्तार।

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी के तीन पुलिस स्टेशनों में शातिर अपराधी के रूप में दर्ज मामले में दो लोगों को भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस ने रायगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों ने नारपोली,कोन गांव और निजामपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपराध की घटना को अंजाम देकर कर फरार हो गए थे वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले दुर्गेश उर्फ लाला श्रीराम निषाद उम्र 22 वर्ष और महाजन राम समुझ यादव 38 वर्ष के बारे में भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस को गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर रायगढ़ और शिलफाटा से गिरफ्तार कर लिया गया है इन दोनों के पास से पुलिस ने तीन लाख 63 हजार रुपए से अधिक का समान बरामद किया है, जिसमें 75 इलेक्ट्रॉनिक मोटर शामिल हैं, दोनों शातिर बदमाश लूटपाट और घर फोड़ी करने में माहिर है उक्त कारवाई अपर पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले, पुलिस उपायुक्त अमर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागड़े, के मार्गदर्शन में भिवंडी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनावणे, पुलिस उप निरीक्षक रविन्द्र पाटील, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुधाकर चौधरी, पुलिस हवलदार यादव, पुलिस हवलदार वामन भोईर, पुलिस हवलदार जाधव और उमेश ठाकुर और चालक रविन्द्र सालुंखे का सराहनीय कार्य रहा

माइक्रोसॉफ्ट ने आईआईएम स्नातक को 54 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेशकश की

मुंबई : मुंबई अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई में 2025 बैच के लिए प्लेसमेंट सीजन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए सबसे अधिक पैकेज, 54 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेशकश की। माइक्रोसॉफ्ट ने आईआईएम मुंबई के स्नातक को 54 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेशकश की पिछले साल आईआईएम का दर्जा प्राप्त करने के बाद से, संस्थान ने इस साल अपने प्लेसमेंट सीजन में फिनटेक और मार्केटिंग फर्मों सहित 20 नई कंपनियों का स्वागत किया है। प्लेसमेंट सीजन में 78 कंपनियों ने भाग लिया और कुल 373 नौकरियों की पेशकश की।

एक्सेंचर सबसे बड़ी भर्तीकर्ता थी, जिसने 41 ऑफर दिए, जो पिछले साल की संख्या से लगभग दोगुना है। फर्म ने 37 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के वेतन के साथ कंसल्टेंसी भूमिकाएँ प्रदान कीं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, बिग फोर कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी यूएस और भारतीय आईटी प्रमुख विप्रो ने क्रमशः 14, 11 और नौ ऑफर दिए। संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों ने भी प्लेसमेंट संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्थान के एक प्लेसमेंट अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों ने प्लेसमेंट सीजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन क्षेत्रों की कई कंपनियों ने कई भूमिकाएँ प्रदान की हैं। आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी ने कहा, ''प्लेसमेंट का पहला सीजन कार्य अनुभव वाले छात्रों के लिए आयोजित किया गया था।'' ''फ्रेशर्स के लिए दूसरा सीजन जनवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा।''

दस दिन में प्रदूषण नियंत्रण करने का निर्देश

मनपा ने पर्यावरण के नियमों को नहीं मानने वालों को दिया नोटिस

मुंबई : मनपा ने मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले 474 निर्माण कार्य स्थलों को 10 दिन में प्रदूषण नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। नोटिस दिए निर्माण कार्य में बिल्डर सहित मेट्रो और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मनपा प्रशासन ने मुंबई में चल रहे 474 निर्माण कार्य स्थल और प्रोजेक्ट को प्रदूषण रोकने के नियमों की पूर्तता नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनपा का नोटिस में बिल्डर के कार्य सहित मेट्रो के महालक्ष्मी और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर चल रहा कार्य स्थल शामिल है। मनपा प्रयवरण की टीम सात दिन के बाद इन स्थानों की जांच करेगी और तीन दिन की अंतिम नोटिस की दी जाएगी। इसके बावजूद नियमों की पालन नहीं होने पर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों को यह नोटिस दिया गया है उनमें सड़क निर्माण और मेट्रो-बुलेट ट्रेनों के साथ-साथ भवनों का निर्माण भी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सर्दियों के दौरान मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है।

अबू सलेम को पूरे 25 साल की सजा काटनी होगी... टाडा के तहत नामित एक विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

मुंबई : मुंबई आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) के तहत नामित एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है कि मार्च 1993 के बॉम्बे सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी को पूरे 25 साल की सजा काटनी होगी, उसके इस दावे को खारिज करते हुए कि उसने छूट सहित अपनी सजा पहले ही पूरी कर ली है। अदालत ने सलेम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह समय से पहले रिहाई का हकदार नहीं है।

अबू सलेम को 25 साल की सजा काटनी होगीः टाडा अदालत विशेष न्यायाधीश वी डी केदार ने 11 जुलाई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सलेम के अपराध की गंभीर प्रकृति ने उसकी सजा कम करने के लिए किसी भी विशेष विशेषाधिकार को रोक दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया हैः ''आवेदक जिस अपराध में शामिल था, उसकी गंभीरता को देखते हुए, इस अदालत द्वारा आवेदक की सजा को कम करने या उसकी अवधि को सीमित करने के लिए किसी विशेष विशेषाधिकार का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।'' अदालत ने स्पष्ट किया कि 55 वर्षीय सलेम को 25 साल की पूरी सजा काटनी होगी। सलेम की दलील में तर्क दिया गया कि उसकी सजा में अच्छे व्यवहार और विशेष अवसरों के लिए दी गई 2 साल और 10 महीने की छूट शामिल होनी चाहिए, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इससे उसकी कुल कैद 25 साल हो गई। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।

11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए गए सलेम पर मुकदमा चला और उसे 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों सहित दो टाडा मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली। उसे क्रमशः 25 फरवरी, 2015 और 7 सितंबर, 2017 को सजा सुनाई गई। जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल को दिए गए संप्रभु आश्वासन का हवाला देते हुए उसकी कैद की अवधि को घटाकर 25 साल कर दिया कि सलेम को मृत्युदंड या 25 साल से अधिक कारावास का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फुटपाथ पर दुकानदारों का अवैध कब्जा

भायंदर : मीरा भायंदर शहर में फुटपाथ पर दुकानदारों के अवैध कब्जे के कारण शहरवासीयों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यह दुकानदार अपने दुकान मे बेचने की वस्तु अवैध तरीके से फुटपाथ पर रख देते हैं। इन दुकानदारों के इस अवैध कब्जे की वजह से पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मजबूरी में राहगीरों को सडकों पर चलना पड़ता है, स- ड़क पर चलने के कारण कई लोग तो वाहनों की चपेट में आकर चोटिल भी हुए हैं। भायंदर (पश्चिम) के स्टेशन रोड़ 60 फिट रोड़, देवचद्र नगर इलाकों के अलावा भायंदर (पूर्व) में बी.पी रोड़, नवघर रोड़ जैसे इलाकों मे यही हाल है। हालांकि इन दुकान- दारों पर मनपा द्वारा पहले कार्यवाही की गयी थी परन्तु इसके बाद मनपा की निष्क्रियता के कारण इन दुकान- दारों ने फिर से अपनी दुकानों के बाहर फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है।

हवाई अड्डे के कर्मचारियों की संलिप्तता वाले तस्करी गिरोह का भंडाफोड़...

मोम के रूप में सोने की 24 अंडाकार गेंदें बरामद

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों की संलिप्तता वाले एक बड़े सोने की तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान तस्करी किए गए सोने की दो खेपों को पकड़ा गया और हवाई अड्डे के तीन कर्मचारियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार, खुफिया जानकारी मिली थी कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के फूड कोर्ट में कार्यरत हवाई अड्डे के कर्मचारियों का एक गिरोह अंतरराष्ट्रीय पारगमन यात्रियों से सोना लेकर हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाकर तस्करी में शामिल है।

खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई मुंबई के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर निगरानी बनाए रखी और तस्करी किए गए सोने की दो ऐसी खेपों को तब पकड़ा जब उन्हें हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि सोना पहुंचा रहे तीन हवाई अड्डे के कर्मचारियों और तीन रिसीवरों को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जांच करने पर मोम के रूप में सोने की धूल की 24 अंडाकार गेंदें बरामद की गईं, जिनका वजन 12.5 किलोग्राम है और जिनकी कीमत 9.95 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि सोना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

9 मीटर तक की लंबाई वाली बसों को भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों से आने-जाने की अनुमति दी जाए

मुंबई : मुंबई कुर्ला में बस दुर्घटना के बाद, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के अधिकारियों ने फैसला किया कि 9 मीटर तक की लंबाई वाली बसों को हमेशा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों से आने-जाने की अनुमति दी जाए। उपक्रम ने इन क्षेत्रों का अध्ययन करने और अन्य परिवहन साधनों के साथ-साथ बेस्ट बसों को यहाँ चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। बेस्ट अधिकारियों ने कहा कि बोरीवली (पश्चिम), अंधेरी (पश्चिम), बांद्रा (पूर्व), कुर्ला (पश्चिम), मुलुंड (पश्चिम) आदि जैसे क्षेत्र भीड़भाड़ वाले होने के अलावा ''ऑटो माफिया'' के भी खतरे में हैं, जो बड़ी बेस्ट बसों को सुरक्षित रूप से चलने के लिए बहुत कम जगह देते हैं।

भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों के बाहर बस चालकों और यात्रियों की प्रतीक्षा में खड़े ऑटो चालकों के बीच जगह को लेकर झगड़े होते रहते हैं। परिवहन उपयोगिता के अधिकारियों ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में साझा ऑटो भी सड़क को अवरुद्ध करते हैं, जिससे पैदल चलने वालों, निजी वाहन मालिकों और बेस्ट ड्राइवरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। बेस्ट उपक्रम के महाप्रबंधक अनिल डिग्गीकर ने कहा, ''9 मीटर से अधिक लंबी मिनी बसों या मध्यम आकार की बसों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि हमारे डिपो प्रबंधक लगातार स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहते हैं जो समय-समय पर रेलवे स्टेशनों के बाहर भीड़भाड़ को साफ करते हैं, साझा ऑटो बसों पर हावी होने की कोशिश करते हैं।''

नवी मुंबई नगर निगम ने शिकायतें भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया

नवी मुंबई : नवी मुंबई नगर निगम ने ई-आधारित एप्लिकेशन को सरल बनाने के लिए अपनी मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली को अपडेट किया है और साथ ही नागरिकों को अपने क्षेत्र में सड़कों और नालियों की स्थिति के बारे में अपनी शिकायतें सीधे भेजने में सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है। नागरिकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एनएमएमसी दक्ष 'एनएमएमसी दक्ष' नामक नए ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को तुरंत सड़क मरम्मत के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को भेज दिया जाएगा और नागरिक निकाय की इंजीनियरिंग शाखा 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। इसी तरह की शिकायतें समर्पित व्हाट्सएप नंबर - 8424949888 पर भी भेजी जा सकती हैं। ''इंजीनियरिंग विभाग ने प्रशासन द्वारा शुरू की गई चल रही परियोजनाओं और नागरिक सुविधा कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एनएमएमसी दक्ष की शुरूआत की है। यह पिछले ऐप का अपडेटेड वर्जन है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों के लिए सड़कों की खराब स्थिति, जैसे गड्ढों से भरे हिस्से आदि के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक निर्दिष्ट व्हाट्सएप नंबर सक्रिय किया गया है,'' शहर के इंजीनियर शिरीष अरधवाड ने कहा।

बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए भी समर्पित व्हाट्सएप नंबर शुरू किए गए हैं। बिजली की खराबी के लिए, निवासी 8421033099 पर और पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए 8419900480 पर अपनी चिंताएँ व्यक्त कर सकते हैं। ''शिकायतें, चाहे व्हाट्सएप पर हों या ऐप पर, पुष्टि करने वाली तस्वीरों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भिवंडी में ठेकेदार और कर्मचारी के बीच मारपीट... मामला दर्ज

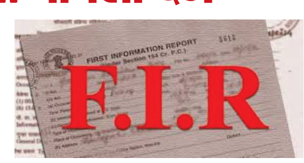

मुंबई : भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में विवाद और मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले सप्ताह आयुक्त के दफ्तर के बाहर ठेकेदारों के बीच हुई झड़प की घटना अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि मंग लवार को प्रभाग समिति क्रमांक तीन के कार्यालय के बाहर ठेकेदार और पालिका कर्मचारी के बीच तीखी झड़प और मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना ने भिवंडी के प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। पुलिस के अनुसार, ठेकेदार संध्या धर्मा सरदार और उनके ममेरे भाई मुकेश किशोर सकपाले मंगलवार को प्रभाग समिति क्रमांक तीन के कार्यालय में अपने काम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने गए थे। उसी समय वहां मौजूद पालिका कर्मचारी संतोष हनुमंत म्हस्के ने अचानक उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं। जब संध्या सरदार ने इसका विरोध किया, तो संतोष म्हस्के ने उनके माथे पर किसी वस्तु से हमला किया।

दैनिक रोकठोक लेखनी खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शुक्रवार 13 दिसंबर 2024

पानी चोरी के मामले में दो लोगों पर केस दर्ज

भिवंडी : भिवंडी शहर के पास खोणी ग्रामपंचायत क्षेत्र में पानी की चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामपंचायत की मुख्य जलवाहिनी से अवैध नल कनेक्शन लेकर पानी की चोरी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में खोणी ग्रामपंचायत की ग्रामविकास अधिकारी साक्षी शिंदे ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कृष्णा पाटील और सागर पावशे नाम के दो व्यक्ति यों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर खोणीगांव के नेहा पार्क क्षेत्र के पास खाड़ी किनारे अवैध तरीके से नल कनेक्शन लेकर पानी चोरी करने का आरोप है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि कृष्णा पाटील और सागर पावशे ने खोणी ग्रामपंचायत की मुख्य जलवाहिनी से एक इंच व्यास का पाइप लगाकर अवैध नल कनेक्शन लिया। यह पानी उनके अवैध रूप से बनाए गए चाल में उपयोग हो रहा था।

ठाणे : एक वर्षीय बेटे की हत्या के आरोप में युवती गिरफ्तार

ठाणे : ठाणे वासिंद के कासने गांव में बुधवार सुबह दिल की बीमारी से पीड़ित एक वर्षीय बच्चे की उसकी मां ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय अपेक्षा भोय अपने ससुराल वालों के ''अस्वस्थ बच्चे को जन्म देने'' के आरोपों से निराश थी; वह इस बात से भी परेशान थी कि उसकी सास ज्यादातर समय बच्चे को संभालती थी और उसने भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए बच्चे की हत्या करने की बात कबूल की।

एक वर्षीय बेटे की हत्या के आरोप में युवती गिरफ्तार भोय परिवार पडघा के पास कासने गांव में रहता है और मृतक के पिता संदेश पास के गोदाम में रात की शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। उनका और अपेक्षा का बेटा पार्थ एक साल पहले दिल की बीमारी से पीड़ित पैदा हुआ था और उसका मुंबई के वाडिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस वजह से अपेक्षा और उसकी सास के बीच अक्सर विवाद होता था, जो अक्सर बीमार बच्चे को जन्म देने के लिए अपेक्षा को दोषी ठहराती थी।

मंगलवार को अपेक्षा की दादी और पार्थ की दादी उसे टिटवाला में अपनी बेटी के घर ले गईं। लेकिन जल्द ही लड़के को बुखार हो गया, संभवतः पर्यावरण में बदलाव के कारण। चिंतित होकर, उसकी दादी उसी रात उसे लेकर कासने लौट आईं, जिसके बाद उसकी बिगड़ती सेहत को लेकर उसकी दादी और माँ के बीच फिर से बहस हुई। बुधवार की सुबह, पडघा पुलिस को सूचना मिली कि एक वर्षीय लड़का पानी की टंकी में मृत पाया गया है। उसकी माँ ने शुरू में दावा किया कि उसका बेटा लापता हो गया था और उसकी मौत के लिए एक बाहरी व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन इंस्पेक्टर बाला कुंभार के नेतृत्व में और महिला कर्मियों सहित पुलिस दल ने उससे पूछताछ जारी रखी। पुलिस ने कहा कि एक बार जब उन्होंने उसका विश्वास जीत लिया, तो वह टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

भायखला जेल की कैदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कांस्टेबल को जमानत

मुंबई : मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला पुलिस कांस्टेबल सुरेखा गोरक्षनाथ गवले को जमानत दे दी, जिसे 2017 में भायखला जेल की एक कैदी मंजुला शेटे की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने हत्या में गवले की कथित संलिप्तता पर गौर किया, लेकिन त्वरित सुनवाई के उसके संवैधानिक अधिकार पर जोर दिया। भायखला जेल के कैदी की हत्या के मामले में महिला कांस्टेबल को हाईकोर्ट से जमानत यह उसकी तीसरी जमानत याचिका थी, जबकि जुलाई 2019 और जनवरी 2023 में दो अन्य याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं।

गवले को 1 जुलाई, 2017 को इस आरोप पर गिरफ्तार किया गया था कि वह उस समय ड्यूटी पर थी, जब शेटे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 23 जून को जे जे अस्पताल में शेटये की मौत हो गई थी, जब कथित तौर पर भायखला जेल के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की थी, जिसमें गवले भी शामिल थे, क्योंकि जेल के कर्मचारियों ने कैदियों को बांटने के लिए उसे दिए गए दो अंडों और पांच रोटियों का हिसाब नहीं दिया था। गवले के वकील राजेंद्र राठौड़, उमर दलवी और अंसारी एम सिराज ने तर्क दिया कि कांस्टेबल ने पहले ही विचाराधीन कैदी के रूप में सात साल और पांच महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार को उजागर करता है। अतिरिक्त सरकारी वकील सागर आर. अगरकर ने जमानत आवेदन का विरोध किया, और पहले के आदेशों में की गई टिप्पणियों की ओर इशारा किया, जो मामले में गवले की सक्रिय भागीदारी को दशार्ता है। हालांकि, आरोपी द्वारा लंबे समय तक कारावास में रहने और उचित अवधि के भीतर मुकदमे के पूरा होने की दूर की संभावना को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने गवले को जमानत दे दी। इस स्थिति को दोहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में, संवैधानिक अदालतें जमानत आवेदनों में अनुकूल आदेश पारित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, उन्होंने कहा, ''केवल इसलिए कि आरोपी विचाराधीन कैदी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि संवैधानिक अदालतें उचित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं।''

कोपर खैराने में एक निर्माण स्थल पर खोदे गए खुले गड्ढे में गलती से गिरने से सात वर्षीय बच्चे की मौत !

मुंबई : नवी मुंबई कोपर खैराने में एक निर्माण स्थल पर खोदे गए खुले गड्ढे में गलती से गिरने से सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। निर्माण स्थल पर गड्ढे में डूबा सात वर्षीय बच्चा मृतक अंकित पानसिंग थंगुन्ना कोपर खैराने के सेक्टर-4 में जीजामाता कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 2 का छात्र था। पुलिस के अनुसार, वह स्कूल से छुट्टी के बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। वह गड्ढे के पास खेल रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह शाम 6.45 बजे गड्ढे में गिर गया। यह खुला गड्ढा सेक्टर-5 में था, जिसका आकार करीब 15 गुणा 8 फीट था और इसमें पानी भरा हुआ था।

थंगुन्ना के दोस्तों ने तुरंत उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसके पिता पानसिंग थौन्ना और अन्य निवासी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। वरिष्ठ निरीक्षक औदुंबर पाटिल ने कहा, ''यह एक खुला प्लॉट है, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। गड्ढे को सुरक्षित नहीं किया गया था।

भिवंडी पिंपलास गांव में 78.35 करोड की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई : भिवंडी तालुका के पिंपलास गांव क्षेत्र में 78135 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का एक सनस नीखेज मामला सामने आया है। भायखला मुंबई के रहने वाले बांधकाम व्यवसायी दिलीपकुमार फूलचंद जैन ने अशिष चंद्रकांत शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीन खरीदने के नाम पर बड़ी रकम हड़प ली।

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता दिलीपकुमार जैन ने पिंपलास इलाके में 300 एकड़ जमीन खरीदी था और नाम पर करने के लिए अशिष शेलार को 78,35,51,165 रुपए का भुगतान किया। हालांकि, आरोप है कि यह सौदा न केवल अमान्य निकला बल्कि जमीन का कोई वैध अधिकार भी नहीं दिया गया। शिकायत के अनुसार, अशिष शाह ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर जमीन का सौदा तय किया। उन्होंने इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया, जबकि यह जमीन उनके अधिकार में नहीं थी। जब शिकायतकर्ता ने सौदे को आगे बढ़ाने के लिए का- र्रवाई की मांग की, तो उन्हें पता चला कि जमीन पर शाह का कोई वैध अधिकार नहीं है। दिलीप जैन की शिकायत के आधार पर कोनगांव पुलिस ने भादंवि की धारा 420, 406, 46 और 468 के तहत अशिष शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही है। जिसकी आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निलीमा पवार कर रही है।

भूमि सौदे में डेवलपर से 78.35 करोड़ रुपये ठगे, ब्रोकर के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई कोनगांव पुलिस ने एक ब्रोकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने कथित तौर पर भिवंडी में एक भूमि सौदे में एक डेवलपर से 78.35 करोड़ रुपये ठगे हैं। बिल्डर से भूमि सौदे में 78.35 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में ब्रोकर पर मामला दर्ज किया गया पुलिस के अनुसार, दिलीपकुमार फुलचंद जैन बायकुला में रहने वाले एक डेवलपर हैं, जिनका कार्यालय भिवंडी के दापोडा गांव में है। 2006 में, ब्रोकर आशीष चंद्रकांत शाह ने उन्हें 300 एकड़ जमीन खरीदने में मदद करने का वादा किया था।

हालांकि, उन्होंने जैन के नाम पर केवल 150 एकड़ जमीन ही पंजीकृत की और शेष राशि का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए किया। अगले 18 वर्षों में, इस साल मार्च तक, शाह ने जैन से 78.35 करोड़ रुपये वसूले, जिन्हें वादा की गई आधी जमीन मिली। जैन ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, और बिल्डर ने कथित तौर पर कहा कि वह एक समय पर पैसे लौटा देगा, लेकिन नहीं लौटाया। इसके बजाय उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि धमकी भी देने लगा। कोनगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में जैन ने आरोप लगाया है कि 2006 से ब्रोकर के साथ विवाद के दौरान उन्हें लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। मंगलवार को शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी), 316 (आपराधिक विश्वासघात) और 336 (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नीलिमा पवार कर रही हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com